

7294  
31-5-17



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), वैशाली(हाजीपुर)  
जिला- वैशाली

दिनांक-

S.S(JPM)


31 MAY 2017

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली(हाजीपुर) के जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 1211/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित सक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि



भवदीय,

- 80 -

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/14668/73

दिनांक- 22.05.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, वैशाली

तन्वीर हसन 22/05/17  
वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

**कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना**  
**निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 1211/16-17**  
**सामाजिक प्रक्षेत्र-I**  
**भाग-I**  
**प्रस्तावना**

1.	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर)
2.	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता:	श्री केदार प्रसाद साहु, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली, (हाजीपुर)
3	लेखा परीक्षा की अवधि :	जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक
4	लेखापरीक्षा की तिथि:	09.01.2017 से 17.01.2017 तक (08 कार्य दिवस)
5	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2015 एवं मार्च 2016
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री एस.के.वर्मा, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री अनिल कुमार रजक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री नीरज कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री अमित कुमार, वरीय लेखा परीक्षक 5. श्री अजक कुमार, लेखा परीक्षक
7	लेखापरीक्षा का विस्तार	जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) के जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह मार्च 2015 एवं मार्च 2016 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
8	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया	हाँ, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण हाजीपुर (वैशाली) से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

**दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र**

**DISCLAIMER CERTIFICATE**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली, (हाजीपुर) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

## भाग- II

### खण्ड- क

#### कंडिका 01

<u>एकरारनामा सं०</u>	<u>03/SBD, 2015-16 एम.बी. सं०-205/2014-15 की समीक्षा</u>
योजना का नाम	रामबालक चौक से रामप्रसाद चौक होते हुए धुरदौर पोखर तक आर. सी.सी. नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रु० 3,00,53000/-
तकनीकी स्वीकृति	अधिक्षण अभियंता बुडा दिनांक 13.01.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर दिनांक 20.01.2015
संवेदक का नाम	श्री प्रेम प्रताप राय
कार्य आरंभ करने की तिथि	14.05.2015
कार्य पूर्ण करना था	13.05.2016 (1 वर्ष)
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
एकरारनामा की राशि	रु० 2,85,31,406/- (3.58 % below)
भुगतान	रु० 1,84,84,725/- (नवों चलन्त बिल तक)

#### अंकेक्षण आपति:

##### 1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के काण संवेदक को अदेय सहायता (रु० 2.25 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०6/1/वी०-2/2003 - 3376 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 1.25% तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 2.50% तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 5% अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा 3.58% below पर रु० 255356 की कटौती करनी थी परन्तु डूडा द्वारा केवल रु० 30,472/- का कटौती किया गया था। अतः संवेदक को रु० 224884 का अदेय सहायता दिया गया था। संवेदक को अदेय सहायता देने के संबंध में पृच्छा करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि सुरक्षित जमा राशि से कटौती कर ली जाएगी। राशि की वसूली करते हुए फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

2. संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर अग्रधन की राशि तथा सुरक्षित जमा राशि को जब्त नहीं किया जाना रू0 20.80 लाख

इस योजना का कार्यादेश दिनांक 14.05.2015 को दिया गया था तथा कार्य 12 माह अर्थात् दिनांक 13.05.2016 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। लेकिन संवेदक द्वारा दिनांक 09.04.2016 तक नौवाँ चलन्त खाता तक कार्य किया गया था। उसके बाद संवेदक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा दो पत्र दिया गया था, फिर भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इसके उपरान्त कार्यालय द्वारा संवेदक को न तो काली सूची में डाला गया न ही उसका अग्रधन व सुरक्षित जमा की राशि रू0 20,79,878/- (6,01,100 + 14,78,778) को जब्त किया गया था। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि संवेदक को यथाशीघ्र काली सूची में डालकर राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. निरर्थक व्यय रू0 170.05 लाख

यह योजना मुख्य नाला निर्माण का था जो शहर के अन्य नालों से सम्पर्क के साथ धुरदौर पोखर में मिलान करना था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण योजना जनउपयोगी नहीं है। नौवाँ चलन्त खाता तक संवेदक को रू0 1,84,84,725/- का भुगतान किया जा चुका है। इससे सुरक्षित जमा राशि रू0 14,78,778/- धटाने के बाद रू0 1,70,05,947/- का भुगतान किया जा चुका है। एस.बी.डी के क्लाउज के अनुसार संवेदक द्वारा 21 दिनों तक कार्य नहीं करने पर उसे काली सूची में डाल देना था। लेकिन कार्यालय द्वारा यह कार्रवाई भी नहीं की गयी। स्पष्ट है कि नाला नहीं बनने से यह कार्य जनउपयोगी नहीं रहा तथा व्यय रू0 1,70,05,947/- निरर्थक व्यय रहा।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि नाले की पानी धुरदौर पोखर में अस्थायी रूप से उसी नाले से जा रहा है एवं संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर संवेदक को काली सूची में डालते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना के दिशानिर्देशानुसार कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सही रूप से नाला का निर्माण नहीं किया गया।

4. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत अभिकरण द्वारा सिर्फ दो बार गुणवत्ता जाँच कर सभी नौ Account Bill पारित किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

## भाग- II

### खण्ड ख

#### कंडिका 02

#### Compensation राशि/विलम्ब शुल्क की कम कटौती ₹ 9.37 लाख

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½% एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि अभिकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है, जिला शहरी विकास अभिकरण वैशाली (हाजीपुर) के योजनाओं से संबंधित संचिका के नमूना जॉच (05 योजना) क्रम में पाया गया कि संवेदकों द्वारा दिये गए नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। परन्तु कार्यालय द्वारा विलम्ब अवधि के चलन्त बिल पर ही विलम्ब शुल्क की कटौती की गयी थी। जबकि विलम्ब शुल्क की कटौती प्राक्कलन राशि पर की जानी थी। इस प्रकार नमूना के तौर पर लिए गए 05 योजनाओं में कुल ₹1354400/- राशि की कटौती करनी थी लेकिन कार्यालय द्वारा मात्र ₹ 417273/- ही राशि की कटौती की गयी। अर्थात् ₹ 937127 (1354400- 417273) की कम कटौती की गयी थी। इस प्रकार रू0 937127/- की कटौती नहीं कर संवेदक को अदेय लाभ पहुँचाया गया। (परिशिष्ट- I) आपत्ति के जवाब में बताया गया कि विलंब से किए गए कार्य को उनके चलन्त बिल से राशि की कटौती की गई है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानित राशि से कम की कटौती की गयी है।

#### कंडिका 03-

#### योजना - नगर पंचायत महनार अन्तर्गत ईशाकपुर पोखर का सौन्दर्यीकरण कार्य का अनियमित

#### कियान्वयन

योजना का नाम/कार्य का नाम	नगर पंचायत महनार अन्तर्गत ईशाकपुर पोखर का सौन्दर्यीकरण कार्य
प्राक्कलित राशि	₹ 45,13,000 /-
एकरारनामा राशि	₹ 42,96,242 /-
एकरारनामा सं० :-	40 एफ <sup>2</sup> /2013-14
संवेदक का नाम	श्री रिपेश कुमार सिंह
कार्यादेश की तिथि	27.05.2013
कार्य समाप्ति की तिथि	छः माह/26.11.13
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/-	05.03.2015

#### लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई:-

### 1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 5.37 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 5,36,909/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 5,36,909/- का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	लोकल बालु	222.04 m <sup>3</sup>	181.46	40291
2	कोर्स बालु	138.5 m <sup>3</sup>	937.46	129838
3	स्टोन चिप्स	211.69 m <sup>3</sup>	1613.41	341542
4	ईट	47469 no.	531.69	25238
				536909

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन. के लिए संबंधित को पत्र लिख जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

### 2. समय से पहले जमानत की राशि संवेदक को दिया जाना रू0 2,12,065/-

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 01/2013-14 के क्रम सं0 25 के अनुसार कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता 36 माह (तीन वर्ष) की होगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही संवेदक को जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी।

संचिका नमूना जाँच में पाया गया कि वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 05.03.2015 है नियमानुसार 36 माह अर्थात 04.03.2018 के बाद कार्य संतोषप्रद/त्रुटि सुधार होने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती है, परन्तु चेक सं0 695590 दिनांक 11.07.2016 द्वारा रू0 2,12,065/- संवेदक को लौटा दिया गया है। इस प्रकार (3 वर्ष के बाद के स्थान पर) मात्र 1 वर्ष 04 माह बाद ही जमानत राशि लौटाकर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चूँकि कार्य की जाँच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था, इसलिए संवेदक की सुरक्षित जमा राशि वापस की गयी।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

**3. बिना Deviation at a site statement का अनियमित भुगतान (रु0 2.09 लाख)**

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0-27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6 (ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना आवश्यक है। इस योजना में 10 प्रतिशत के अन्तर्गत Deviation at a site का भुगतान किया गया था। विवरण निम्न है-

क्र0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा (बी.ओ.क्यु)	वास्तविक तथा मापी की मात्रा	वृद्धि (प्रतिशत में)	अंतर मात्रा	दर	राशि
1	Construction of embankment with approved material E/I	522.940 m <sup>3</sup>	576.66 m <sup>3</sup>	10.27	53.72 m <sup>3</sup>	180.631 m <sup>3</sup>	9703
2	Local sand filling in foundation	96.840 m <sup>3</sup>	105.53 m <sup>3</sup>	8.97	8.69 m <sup>3</sup>	473.377/ m <sup>3</sup>	4113
3	Designation 100 A brick	645.60 m <sup>2</sup>	709.52 m <sup>2</sup>	9.90	63.92 m <sup>2</sup>	240.50/ m <sup>2</sup>	15373
4	Plain/reinforced cement concrete in sub structure	189.10 m <sup>3</sup>	204.961 m <sup>3</sup>	8.39	15.861 m <sup>3</sup>	6770.58/ m <sup>3</sup>	107388
5	Brick masonry work in	45.74 m <sup>3</sup>	49.53 m <sup>3</sup>	8.28	3.79 m <sup>3</sup>	5078.31/ m <sup>3</sup>	19247
6	Plastering with cement	129.02 m <sup>2</sup>	141.81 m <sup>2</sup>	9.91	12.79 m <sup>2</sup>	86.73/ m <sup>2</sup>	1109
7	Chequered precast cement concrete tiles	90.00 m <sup>2</sup>	98.93 m <sup>2</sup>	9.92	8.93 m <sup>2</sup>	572.33/ m <sup>2</sup>	5110
कुल							162043

Deviation at a site statement Register प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि रजिस्टर नहीं बनाया गया है फिर भी कार्यपालक अभियंता द्वारा 10 प्रतिशत के अन्दर राशि रहने के कारण मापी पुस्तिका प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

**4. समय सीमा के अन्दर कार्य की समयावृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रु0 4.51 लाख**

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 05.03.2015 के बाद मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग

द्वारा पत्रांक 182/2016/836 दिनांक 23.11.2016 द्वारा समयवृद्धि की अनुमति दी गई है एवं समयवृद्धि हेतु काटी गयी राशि रू0 2,12,813/- (कटौती- प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम चालू विपत्र) थी जिसे 05.12.2016 को द्वारा लौटा दिया गया है जो एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के विपरीत है। अतः कार्य विलम्ब अवधि 1 वर्ष 03 माह लगभग के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 4513000/- का 10 प्रतिशत रू0 4,51,300/- की कटौती नहीं कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य के संचालन हेतु तथा नगर परिषद के बढ़ती वाहन दवाब के कारण समयवृद्धि के दिन में कुछ कठिनाई आई है।

समयवृद्धि का संचिका में आवेदन नहीं था। अतः जवाब मान्य नहीं है।

#### 5. गुणवत्ता जाँच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जाँच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा दिनांक 20.05.2014 को गुणवत्ता जाँच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में प्रथम एकाउन्ट बिल दिनांक 14.08.2013 एवं अंतिम एकाउन्ट मापी बिल दिनांक 05.03.2015 दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जाँच नहीं करवायी गयी है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जाँच कार्य समाप्ति के उपरान्त करायी गयी है।

#### 6. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त सं0 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगों को लिया जाएगा। जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं की उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जाँच क्रम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

#### 7. निविदा के लिए पर्याप्त समयवधि नहीं दिया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(ज)v के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दरस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद



में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहाँ देशी एवं विदेशी बोलीकर्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि संचिका में दर्ज नहीं एवं बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, 24.04.2013 था। जबकि उक्त नियमानुसार निविदा समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अर्थात् 15.05.2013 होना चाहिए था, परन्तु कार्यालय द्वारा निविदा बिक्री के दिन मात्र 01 दिन का समय दिया गया जो उक्त नियम का उलंघन था जिसके कारण प्रतिभागी इस निविदा में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सका। इस निविदा में केवल दो प्रतिभागी ही भाग लिया है। इस प्रकार से निविदा पारदर्शी नहीं हो पाया और दर का निर्धारण निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाया। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

#### 8. मशीन एवं संयंत्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० 01/2013-14 के क्रम सं० 12(v) के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी होने पर उक्त संयंत्र का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा

#### कंडिका 04

#### योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन

योजना का नाम/कार्य का नाम	हाजीपुर नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं० 4 में प्राथमिक विद्यालय से बाइपास रोड तक पथ में पी०सी०सी० कार्य। वर्ष 2016-17
अभिकर्ता का नाम	श्री रितेश कुमार सिंह
प्राक्कलित राशि	₹ 4939200.00
एकरारनामा की राशि	4233631.00 (परिमाण विपत्र से 10% below)
एकरारनामा सं०	9 एफ2/16-17, MB सं०-231
आवंटित राशि	₹ 2469600.00
मापी पुस्त की राशि	₹ 4219406.00
कार्यादेश की तिथि	16.05.2016
कार्य समाप्ति की तिथि	चार माह/15.09.2016
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	16.08.2016
भुगतान की गयी राशि	₹ 3746000.00

#### लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियों/अनियमितताएँ पाई गईं।

### 1. दुलाई पर अनियमित भुगतान (रु0 14.48 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

अभिकर्ता से प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किये जाने के कारण इस योजना में निम्न सामग्री के दुलाई पर रु0 1447974.00 का किया गया भुगतान अनियमित था।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	दुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल	308.31 m <sup>3</sup>	1497.56/ m <sup>3</sup>	461713
2	गिट्टी	438.63 m <sup>3</sup>	1863.79/ m <sup>3</sup>	817514
3	कोर्स बालू	200.66 m <sup>3</sup>	655.73/ m <sup>3</sup>	131579
4	ईट	18563 No.	555.09 प्रति हजार	10304
5	मेरम	14 m <sup>3</sup>	1332.19/ m <sup>3</sup>	18651
6	लोकल बालू	42.26 m <sup>3</sup>	194.36/ m <sup>3</sup>	8214
कुल योग				1447975

प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं करने तथा स्वामित्व कर कटौती का कारण की पृच्छा की गयी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व की कटौती कर ली गई है एवं एम.एन के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

### 2. आवंटन राशि से अधिक भुगतान ₹ 12.76 लाख

इस योजना के लिए कुल राशि रु0 2469600.00 आवंटित किया गया था। कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभिकर्ता को कुल राशि रु0 3746000.00 (रॉयल्टी, लेबर सेस, इन्कम टैक्स आदि सहित) का भुगतान किया गया, जो आवंटित राशि से रु0 1276400.00 अधिक था। अभिकर्ता को आवंटित राशि से अतिरिक्त राशि रु0 1276400.00 का भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया इसे लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि आवंटन के लिए मॉग पत्र माननीय जिला पदाधिकारी को भेजी जा चुकी है।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि बिना आवंटन के ही संवेदक को भुगतान कर दिया गया।

### 3. निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त सं0 17(2)(क) के अनुसार, निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि संवेदक द्वारा

किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो। इस योजना में अभिकर्ता द्वारा जमा/अपलोड किये गये दस्तावेजों में लेबर लाईसेंस संबंधी दस्तावेज में मजदूरों की सं० ओवर राइटिंग कर बीस से सौ कर दिया गया था। जिसपर लाईसेंस जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। जो निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों के अनुकूल नहीं है। जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि यह लिपिकीय भूल है

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

4. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी हाने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कोई भी संवेदक ग्रेड-2, ग्रेड-3 से नीचे नहीं आए थे। इसलिए इसकी जाँच नहीं की गई है।

जवाब मान्य नहीं हैं।

5. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत कार्यालय द्वारा सभी Account Bills का भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

#### **कंडिका 05**

#### **योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन**

योजना का नाम/कार्य का नाम	वार्ड नं० 28 में आर०एन० कॉलेज के पश्चिम PCC सड़क से पूरब होते हुए यूसूफपुर PCC सड़क तक पथ में PCC कार्य
अभिकर्ता का नाम	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय
प्राक्कलित राशि	₹ 4981300.00
एकरारनामा की राशि	₹ 4032433.00 (प्राक्कलन से 15% below)
एकरारनामा सं०	9 एफ2/14-15, MB सं०-190
आवंटित राशि	₹ 42.31 लाख
मापी पुस्त की राशि	₹ 4029831
कार्यादेश की तिथि	11.06.2014
कार्य समाप्ति की तिथि	तीन माह/10.09.2014

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि

20.03.2015

भुगतान की गयी राशि

₹ 4029831.00

**लेखा परीक्षा टिप्पणी:**

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियों/अनियमितताएँ पाई गई।

**1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (₹0 20.57 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

अभिकर्ता से प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किये जाने के कारण इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर ₹0 2056983.00 का किया गया भुगतान अनियमित था।

क0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल	646.62 m <sup>3</sup>	1613.41/ m <sup>3</sup>	1043263
2	गिट्टी	388.86 m <sup>3</sup>	2045.01/ m <sup>3</sup>	795223
3	कोर्स बालू	196.72 m <sup>3</sup>	937.46/ m <sup>3</sup>	184417
4	ईट	16500 No.	531.69 प्रति हजार	8773
5	मेरम	13.71 m <sup>3</sup>	1328.40/ m <sup>3</sup>	18212
6	लोकल बालू	39.10 m <sup>3</sup>	181.46/ m <sup>3</sup>	7095
कूल योग				2056983

प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं करने तथा स्वामित्व कर कटौती नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गई है एवं फार्म एम.एन. के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

2. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी होने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि बिहार लोक निर्माण संहिता के एम-2 के अनुसार उसकी जॉच की गई थी जिसका जॉच प्रतिवेदन संचिका से अलग रखा गया।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी। इस योजना में कार्य समाप्ति के एक वर्ष के बाद ही दिनांक 20.04.2016 को जमानत की राशि चेक सं० 000087/20.04.2016 द्वारा रू० 201492.00 अभिकर्ता को वापस कर दी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्ति के जवाब में बताया गया कार्य की स्थिति तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के जॉचोपरान्त ही भुगतान किया जाता है तथा अवशेष रशि वापस की जाती है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

4. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत कार्यालय द्वारा केवल एक बार जॉच कराकर सभी Account Bills का भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। पुनः इस योजना में Bricks संबंधी कार्य होने के पूर्व ही गुणवत्ता जॉच हेतु दिनांक 26.02.2015 को इसे MIT मुजफ्फरपुर भेजा गया था। जो युक्तिसंगत नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

5. संचिका के नमूना जॉच के क्रम में ज्ञात हुआ कि कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 14.02.2015 द्वारा अभिकर्ता को सूचित किया गया है कि कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है अभी तक पूरी लंबाई में GSB का कार्य भी पूर्ण नहीं कराया गया है। जबकि MB में GSB के कार्य की मापी दिनांक 30.01.2015 को हो चुकी थी। इससे ज्ञात होता है कि संबंधित MB कार्य के विभिन्न स्तरों पर तैयार न कर कार्य पूर्ण होने के बाद तैयार की गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है।

#### कंडिका 06

#### योजना सं० 01/2013-14 हाजीपुर नगर परिषद अन्तर्गत पुराना गंडक पुल धाट का सौन्दर्यीकरण कार्य

योजना का नाम/कार्य का नाम	हाजीपुर नगर परिषद अन्तर्गत पुराना गंडक पुल धाट का सौन्दर्यीकरण कार्य।
प्राक्कलित राशि	₹49,10,400/-
एकारारनामा राशि	₹46,74,751/-
एकारारनामा सं० :-	55 एफ <sub>2</sub> /2013-14
संवेदक का नाम	श्री शैलेश कुमार सिंह
कार्यादेश की तिथि	27.05.2013
कार्य समाप्ति की तिथि	छः माह/26.11.13

वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि / - 02.11.2014

### लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गईं-

#### 1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रु0 1.47 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रु0 142440 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रु0 142440 का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	लोकल बालु	119.32 m <sup>3</sup>	181.46	21652
3	कोर्स बालु	175.96 m <sup>3</sup>	566.90	99751
4	ईट	39567 no.	531.69	21037
				142440

प्रपत्र M तथा N नहीं प्राप्त करने तथा स्वामित्व कर कटौती के कारण की पृच्छा की गई।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

#### 2. समय से पहले जमानत की राशि संवेदक को दिया जाना

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 01/2013-14 के क्रम सं0 25 के अनुसार कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता 36 माह (तीन वर्ष) की होगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनके जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी।

संचिका नमूना जॉच में पाया गया कि वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 31.10.2014 है नियमानुसार 36 माह अर्थात 30.10.2017 के बाद कार्य संतोषप्रद/त्रुटि सुधार होने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती है, परन्तु चेक सं0 695568 दिनांक 24.05.2016 द्वारा रु0 2,14,751/-

संवेदक को लौटा दिया गया है। इस प्रकार समय से लगभग 1 वर्ष 6 माह पहले ही जमानत राशि लौटाकर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि चूँकि कार्य की जाँच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था, इसलिए संवेदक की सुरक्षित जामा राशि वापस की गयी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

### 3. मशीन एवं संयंत्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० 01/2013-14 के क्रम सं० 12(v) के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी हाने पर उक्त संयंत्र का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि इसका सत्यापन हो चुका है, प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा।

### 4. गुणवत्ता जाँच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जाँच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2013 गुणवत्ता जाँच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में प्रथम मापी दिनांक 20.12.2013 दर्ज है। यानि कार्य होने से पहले का ही गुणवत्ता जाँच प्रमाण पत्र संलग्न है। कार्य प्रारम्भ होने से पहले का गुणवत्ता प्रमाण पत्र किस प्रकार लगाकर बिल को पास कर दिया गया है। लगाया गया गुणवत्ता प्रमाण पत्र काट-छॉट कर बनाया गया है जो मापी सं० 112/2013-14 लालगंज नगर पंचायत में पोखर सौन्दर्यीकरण कार्य से संबंधित है। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

### 5. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्तें सं० 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगो को लिया जाएगा। जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

संचिका जॉच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

#### 6. निविदा के लिए पर्याप्त समयावधि नहीं दिया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(ज)v के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहां देशी एवं विदेशी बोलीकर्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि संचिका में दर्ज नहीं एवं बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, 24.04.2013 था। जबकि उक्त नियमानुसार निविदा समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अर्थात् 15.05.2013 होना चाहिए था, परन्तु कार्यालय द्वारा निविदा बिक्री के दिन मात्र 01 दिन का समय दिया गया जो उक्त नियम का उलंघन था जिसके कारण प्रतिभागी इस निविदा में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सका। इस प्रकार से निविदा पारदर्शी नहीं हो पाया और दर के निर्धारण निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

#### कंडिका 07

#### योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन

योजना का नाम/कार्य का नाम	हाजीपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत रामभद्र देविना सिंह के मकान से मीनापुर जगदम्बा स्थान (वाया लोदीपुर) तक 950 मी0 लम्बाई में PCC पथ का निर्माण कार्य वर्ष 2011-12
अभिकर्ता का नाम	श्री रंधीर कुमार
प्राक्कलित राशि	4906800.00
एकरारनामा की राशि	4858163.00 (परिमाण विपत्र से 15% below)
एकरारनामा सं०	9 एफ2/14-15, MB सं०-190
आवंटित राशि	48.50 लाख
मापी पुस्त की राशि	4849714
कार्यादेश की तिथि	05.12.2011
कार्य समाप्ति की तिथि	तीन माह/04.03.2012
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	25.02.2012
भुगतान की गयी राशि	4849714

#### लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियों/अनियमितताएँ पाई गईं—



1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 17.87 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

अभिकर्ता से प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किये जाने के कारण इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1786822.00 का किया गया भुगतान अनियमित था।

क0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल	471 m <sup>3</sup>	1349.82/ m <sup>3</sup>	635765
2	गिट्टी	770.25 m <sup>3</sup>	1283.49/ m <sup>3</sup>	988608
3	कोर्स बालू	254.12 m <sup>3</sup>	474.80/ m <sup>3</sup>	120656
4	ईट	52387 No.	447 प्रति हजार	23417
5	मेरम	17.71 m <sup>3</sup>	1037.58/ m <sup>3</sup>	18376
कूल योग				1786822

प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं करने तथा स्वामित्व कर कटौती के कारण की पृच्छा की गई आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन. के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

2. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी हाने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि इसकी सत्यापन हो चुकी है, प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा।

3. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी। इस योजना में कार्य समाप्ति के एक वर्ष नौ माह के बाद ही दिनांक 15.01.2014 को जमानत की राशि चेक सं0 0000117/15.01.2014 द्वारा रू0 259678.00 अभिकर्ता को वापस कर दी गयी। इसके संबंध में पृच्छा की गई। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चूँकि कार्य की जाँच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था। इसलिए संवेदक की सुरक्षित जमा राशि वापस की गयी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

4. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत कार्यालय द्वारा केवल एक बार जाँच कराकर सभी Account Bills का भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। पुनः इस योजना में PCC संबंधी कार्य होने के पूर्व ही गुणवत्ता जाँच हेतु दिनांक 29.12.2011 को इसे Quality Control Road Sub Division, हाजीपुर भेजा गया था। जो युक्तिसंगत नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

### कंडिका 08

#### योजना के भुगतान में compensation राशि की कम कटौती एवं अनियमित कियान्वयन

योजना का नाम/कार्य का नाम	नगर पंचायत लालगंज अन्तर्गत लालगंज नगर पंचायत कार्यालय के निकट पोखर में घाट का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13
प्राक्कलित राशि	₹ 48,73,000.00
एकारारनामा राशि	₹ 46,02,212.00
एकारारनामा सं० :-	04 एफ <sub>2</sub> /2013-14
अभिकर्ता का नाम	श्री ज्वाला प्रसाद अरूण
कार्यादेश की तिथि	25.07.2014
कार्य समाप्ति की तिथि	छः माह/26.11.13
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/-	15.03.14

#### लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई—

#### 1. निविदा के लिए पर्याप्त समयावधि नहीं दिया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(ज) v के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहाँ देशी एवं विदेशी बोलीकर्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि संचिका में दर्ज नहीं एवं बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, 24.04.2013 था। जबकि उक्त नियमानुसार निविदा समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अर्थात् 15.05.2013 होना चाहिए था, परन्तु कार्यालय द्वारा निविदा बिक्री के दिन मात्र 01 दिन का समय दिया गया जो उक्त नियम का उल्लंघन था जिसके कारण

प्रतिभागी इस निविदा में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सका। इस प्रकार से निविदा पारदर्शी नहीं हो पाया और दर के निर्धारण निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

## 2. संवेदक को अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ पहुँचाना ₹ 4.67 लाख

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½% एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि अभिकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है, संचिका नमूना जॉच क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य दिनांक 26.11.2013 के स्थान पर दिनांक 15.03.2014 को अर्थात् 3 माह 20 दिन विलम्ब से किया गया है। उक्त योजना का प्राक्कलन राशि ₹0 4873000.00 का है। नियमानुसार क्षतिपूर्ति योग्य राशि ₹0 48,73,000.00 का 10 प्रतिशत ₹0 4,87,300.00 के विरुद्ध मात्र ₹0 20275.00 आठवाँ एवं अन्तिम विपत्र से कटौती की गई। इस प्रकार ₹0 4,67,025.00 (487300- 20275) की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि संवेदक से समयवृद्धि की अवशेष राशि की वसूली के लिए नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

राशि की वसूली करते हुए महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

## 3. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (₹0 4.88 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर ₹0 4,88,641/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः ₹0 4,88,641/- का भुगतान अनियमित था।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	लोकल बालु	373.25 m <sup>3</sup>	181.46	67729
2	स्टोन चिप्स	216.87 m <sup>3</sup>	1325.91	287550
3	कोर्स बालु	139.46 m <sup>3</sup>	779.06	108647
4	ईट	46484 no.	531.69	24715
				488641

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन. के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

**4. मशीन एवं संयंत्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना**

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० 01/2013-14 के क्रम सं० 12(v) के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी होने पर उक्त संयंत्र का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि इसकी सत्यापन हो चुकी है, प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा।

**5. समय से पहले जमानत की राशि संवेदक को दिया जाना**

अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 01/2013-14 के क्रम सं० 25 के अनुसार कार्य में त्रुटी सुधार की बाध्यता 36 माह (तीन वर्ष) की होगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनके जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी।

संचिका नमूना जॉच में पाया गया कि वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 15.03.2014 है नियमानुसार 36 माह अर्थात् 16.03.2017 के बाद कार्य संतोषप्रद/त्रुटी सुधार हाने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती है, परन्तु चेक सं० 695515 दिनांक 05.02.2016 द्वारा रू० 229472.00 संवेदक को लौटा दिया गया है। इस प्रकार समय से लगभग 1 वर्ष पहले राशि लौटाकर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

आपत्ति के जबाव में बताया गया कि चूँकि कार्य की जॉच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था, इसलिए संवेदक की सुरक्षित जमा राशि वापस की गयी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

**6. गुणवत्ता जॉच पत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना**

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत अभिकरण द्वारा सिर्फ एक बार गुणवत्ता जॉच (चतुर्थ चालू बिल) कराकर सभी Account Bill पास किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जॉच कार्य समाप्ति के उपरान्त करायी गयी।

जवाब मान्य नहीं है।

## 7. पुनरीक्षित प्राक्कलन संबंधित पदाधिकारी से स्वीकृत नहीं किया जाना

संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि एकरारनामा के अतिरिक्त दो नये मदों का समावेश किया गया है जिसका दर एकरारनामा के दरों के समकालीन अनुसूचित दर पर आधारित है। पुनरीक्षित प्राक्कलन को उच्चाधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि घटनोत्तर स्वीकृति के लिए माननीय जिला पदाधिकारी को सूचना दे दी जाएगी।

अतः घटनोत्तर स्वीकृति लेकर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

### कंडिका 09

#### एकरारनामा सं०- 28 /2010-11 मापी पुस्त संख्या-10/10-11 की समीक्षा

योजना का नाम	सुवास चौक स्थित महाविद्यालय हाजीपुर महनार मेन रोड के चौहटा चौक तक पी.सी.सी सड़क निर्माण।
प्राक्कलित राशि	₹ 01,04,55,914.00
स्वेदक का नाम	श्री अशोक कुमार
कार्य आरंभ करने की तिथि	16.08.2010
कार्य पूर्ण करना था	15.11.2010
काय पूर्ण हुआ था	14.10.2010
भुगतान	₹ 1,04,55,914
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि /-	15.03.14

#### लेखा परीक्षा टिप्पणी:

##### 1. संवेदक को दिया गया अदेय सहायता (रु० 0.32 लाख)

इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मापी पुस्त एवं बी.ओ.क्यु. के मिलान क्रम में पाया कि बी.ओ. क्यु. के क्रमांक सं० 13 में छः साईन बोर्ड के लिए रु० 32,366/- का प्रावधान था लेकिन मापी पुस्त के अनुसार यह कार्य नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रु० 32366/- का अदेय सहायता दिया गया था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि आकस्मिकता एवं साईन बोर्ड में व्यय नहीं कर अन्य बढ़े हुए मद में किया गया।

##### 2. संवेदक को दिया गया अदेय सहायता (रु० 1.02 लाख)

इस योजना के प्राक्कलन के अनुसार 1 प्रतिशत आकस्मिकता व्यय के लिए रु० 1,01,976/- का प्रावधान था लेकिन संवेदक को रु० 10455914/- का भुगतान किया गया था। इससे स्पष्ट है कि आकस्मिकता व्यय की राशि संवेदक को भुगतान कर दिया गया था। जबकि आकस्मिकता व्यय योजना में होने वाले आकस्मिक कार्य के लिए होता है। अतः संवेदक को रु० 1,01,976/- का अदेय सहायता दिया गया था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि आकस्मिकता एवं साईन बोर्ड में व्यय नहीं कर अन्य बड़े हुए मद में किया गया।

### 3. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 38.32 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 38,32,413/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 38,32,413/- का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल ग्रेड-1 एवं 2	1593.125 m <sup>3</sup>	1349.82	2150432
2	स्टोन चिप्स	1052.02m <sup>3</sup>	1283.49	1350257
3	मेरम	34.88m <sup>3</sup>	1037.58	36191
4	कोर्स बालु	498.69.	474.80	236778
	ईट	141444 no	447/0/00	58755
				3832413

प्रपत्र M तथा N नहीं प्राप्त करने तथा स्वामित्व कर कटौती के संबंध में जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन. के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है। जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

4. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत अभिकरण द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 31.12.2010 को सिर्फ एक बार गुणवत्ता जाँच कराकर सभी Account Bill पास किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जाँच कार्य समाप्ति के उपरान्त करायी गयी है।

जवाब मान्य नहीं है।

5. अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 01/2013-14 के क्रम सं0 25 के अनुसार कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता 36 माह (तीन वर्ष) की होगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही अनेक जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी।

संचिका नमूना जॉच में पाया गया कि वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 14.11.2010 है नियमानुसार 36 माह अर्थात् 13.11.2013 के बाद कार्य संतोषप्रद/त्रुटि सुधार होने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती है, परन्तु संचिका जॉच क्रम में पाया गया कि जमानत की कुल राशि रू0 5,22,797/- में से रू0 4,00,000/- दिनांक 20.10.2012 को तथा शेष राशि रू. 1,22,797/- दिनांक 21.05.2013 को संवेदक को वापस कर दी गयी है जो 36 माह से पूर्व है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चूंकि कार्य की जॉच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था, इसलिए संवेदक की सुरक्षित जमा राशि वापस की गयी।

### **कंडिका 10**

#### **श्रम सेस की कम कटौती/कटौती नहीं किया जाना ₹ 86584.00**

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 -302/2006, श्र0 नि0 -865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को विप्रेषित करने का प्रावधान है।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या बी0सी0डब्लू0सी0-01/2008 एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3355 दिनांक-19.06.2008 से ली गई योजनाओं सभी कार्य विभागों द्वारा वर्ष 2007-08 से ली गई योजनाओं के लागत व्यय की एक प्रतिशत की राशि की कटौती संवेदक के विपत्र से करके श्रमायुक्त सह सचिव बिहार एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन विभाग विकास भवन, पटना में जमा करना था।

जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) के योजनाओं से संबंधित अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि कुल 10 योजनाओं में श्रम सेस के रूप में ₹ 1,54,727/- की कटौती की जानी थी लेकिन डूडा कार्यालय द्वारा सिर्फ रू0 68,143/-की कटौती की गई अर्थात् रू0 86,584/- (154727- 68143) की राशि की कम कटौती की गयी थी। (विवरणी परिशिष्ट- II पर)

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि संवेदक को नोटिस देकर राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अतः राशि की वसूली करते हुए साक्ष्य महालेखाकार कार्यालय को भेजी जाए।

### **कंडिका 11**

#### **परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना ₹ 17.07 लाख**

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपटित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमान्य नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बी.ओ.क्यू. के लिए संधारित Co-operative Bank, Hajipur के खाता संख्या 011000654101 में जमा किया गया था। यह पाया गया कि इस खाते में दिनांक 03.12.2013 से दिनांक 31.12.2016 तक ब्याज सहित रू. 1706594.00 जमा थी। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गई। इस प्रकार सरकारी धन को कार्यालय द्वारा अवरुद्ध करके रखा गया।

इन राशियों को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 17) तक नहीं किया गया। इन राशियों को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किए जाने के कारणों के संबंध में पृच्छा करने पर आपत्ति के जवाब में बताया गया कि राशि यथाशीघ्र जमा कर दी जाएगी।

#### **कंडिका 12**

#### **बिक्री कर, श्रम सेस तथा रायल्टी की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं रू. 45.04 लाख**

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली के अभिलेखों तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी की जाँच में यह पाया गया कि दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.12.2016 तक विभिन्न योजनाओं से बिक्री कर, श्रम कर तथा राँयल्टी के रूप में कुल 4504186.00 (बिक्री कर— रू. 2965354.00, श्रम सेस रू. 593073.00 तथा राँयल्टी रू. 945759.00) की कटौती की गई है, जिसका विवरण निम्न है—

<b>Details of amount which is not deposited in the r/o Sale Tax, Labour Cess &amp; Royalty head</b>				
<b>Sl. No.</b>	<b>Period</b>	<b>Sale Tax</b>	<b>Labour Cess</b>	<b>Royalty</b>
1	1.4.16 - 30.4.16	378455	75692	69459
2	1.5.16 - 30.5.16	510245	102048	97253
3	1.6.16 - 30.6.16	704572	140915	245159
4	1.7.16 - 30.7.16	233745	46750	107745
5	1.8.16 - 30.8.16	724723	144945	314655
6	1.9.16 - 30.9.16	103046	20609	31975
7	1.11.16 - 30.11.16	29880	5976	2709
8	1.12.16 - 30.12.16	280688	56138	76804
9	<b>Total</b>	<b>2965354</b>	<b>593073</b>	<b>945759</b>

लेकिन उक्त राशि को उपयुक्त शीर्ष में जमा नहीं किया गया है।

बिक्री कर, श्रम सेस तथा रायल्टी के रूप में कटौती की गई राशि को उपयुक्त शीर्ष में जमा नहीं किए जाने के कारणों के संबंध में पृच्छा करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि यथाशीघ्र जमा कर दिया जाएगा।



**लेखापरीक्षा टिप्पणी (Test Audit Note)**

**टिप्पणी 01-**

**योजना पंजी एवं योजना से संबंधित अभिलेखों का संधारण**

जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली के योजना संबंधी अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है-

- i. योजनाओं को योजना सं. एवं वर्ष के साथ अंकित नहीं किया गया था।
- ii. योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
- iii. योजना विशेष की संचिका में योजना से संबंधित अभिलेख यथा आवंटन आदेश, निविदा आमंत्रण सूचना, प्राक्कलन, संचिका में चयनित संवेदक से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, एकरारनामा, परिणाम विपत्र, मापी पुस्त एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण का संधारण नहीं था।
- iv. संचिकाओं में भुगतान संबंधी आदेश दर्ज नहीं था।
- v. योजना को पूर्ण होने संबंधी पूर्णता प्रमाण पत्र का इंड्राज नहीं किया गया।
- vi. सुरक्षित जमा पंजी का संधारण नहीं होने से सुरक्षित जमा की प्राप्ति/कटौती एवं वापसी संबंधी जाँच नहीं की जा सकी।
- vii. रॉयल्टी, सेल्स टैक्स, श्रम सेस आदि कटौती से संबंधित लेजर का संधारण नहीं किया गया था। कार्यालय कार्य में पारदर्शिता हेतु योजना संबंधी अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से किया जाय।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन किया जाएगा।

**टिप्पणी 02-**

**एक रोकड़ बही के लिए एक से अधिक बैंक खाता**

सरकारी निर्देशानुसार एक मद/आवंटन/योजना के लिए एक रोकड़ बही एवं एक ही बैंक खाता का प्रयोग होना चाहिए। कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही, बैंक पासबुक एवं बैंक खाता विवरणी के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्यालय द्वारा तीन योजनाओं; मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, स्लैम क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं राज्य योजना मद का आवंटन एक ही रोकड़ बही में किया जा रहा है तथा इनके लिए कुल सात बैंक खातों का संचालन भिन्न.भिन्न बैंको में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त

यह भी पाया गया कि एक ही बैंक (Indian Bank) में दो खातों का संचालन एक साथ किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

Sl. No.	Name of Bank	A/c No.	Closing Balance as on	
			Balance	Date
1	The VSV Co-operative Bank, Hajipur	011000654101	17,06,594.00	31.12.2016
2	Indian Bank, Hajipur	6113468060	14,82,447.00	31.12.2016
3	Indian Bank, Hajipur	6405495569	75,33,909.00	31.12.2016
4	HDFC Bank, Hajipur	50100032397132	18,314.00	31.12.2016
5	P.N.B. , Hajipur	4037000101100654	1,86,39,638.34	31.12.2016
6	Bank of India, Hajipur	465410110006592	2,015.00	31.12.2016
7	IDBI Bank, Hajipur	0724104000025133	6,038.00	31.12.2016
Total			2,93,88,955.34	

दो योजनाओं/मदों के लिए एक रोकड़ बही का संधारण करना एवं एक से अधिक बैंक खाता रखना अनियमित है ।

दो योजनाओं/मदों के लिए एक रोकड़ बही का संधारण करने एवं एक से अधिक बैंक खाता रखने के कारणों के संबंध में पृच्छा करने पर जवाब में बताया गया कि सभी बैंक खाता को यथाशीघ्र बंद कर योजना मद, वेतन एवं आकस्मिकता मद तथ प्रमाण विपत्र का खाता राष्ट्रीय बैंक में खोल दिया जाएगा ।

### टिप्पणी 03

#### मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की अपूर्ण योजनाएँ

माह नवंबर 2016 के योजना विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित छः योजनाएँ अभी तक अपूर्ण थी। इन योजनाओं पर कुल राशि रू0 91.21 लाख व्यय हो चुकी थी। सभी योजनाएँ वर्ष 2015-16 की है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है जिसके कारण इन योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई एवं इससे जनता लाभान्वित नहीं हो सकी।

(राशि लाख में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना सं./नाम	प्राक्कलित राशि/एकरारनामा की राशि	व्यय की गयी राशि	अभ्युक्ति
1	2015-16	हाजीपुर नगर परिषद् अंतर्गत सुभाष चौक से राजेन्द्र मोड़, महनार पी0 डब्लू0 डी0 सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क एवं ढक्कन सहित पक्का नाला निर्माण कार्य।	49.84 / 42.75	2.92	अपूर्ण
2	2015-16	महनार नगर पंचायत अंतर्गत श्री शैलेश सिंह के घर से सामुदायिक भवन ईषाखपुर मुसहर टोली तक की सड़क में पी0सी0सी0 कार्य।	29.86 / 25.61	17.61	पूर्ण
3	2015-16	हाजीपुर नगर परिषद् अंतर्गत जहुआ हौजरी पोखर का सौन्दर्यीकरण एवं शेष में छठ पूजा हेतु सीढ़ी का निर्माण एवं सम्पर्क सड़क का निर्माण।	47.42 / 40.73	23.71	अपूर्ण
4	2015-16	लालगंज नगर पंचायत अंतर्गत थाना पोखर का सीढ़ी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	41.50 / 35.91	11.37	अपूर्ण
5	2015-16	महनार नगर पंचायत अंतर्गत गरीबन सिंह के बथान से भगवान पासवान के घर तक गंगा नदी के किनारे छठ पर्व घाट का निर्माण।	18.10 / 15.52	9.38	अपूर्ण
6	2015-16	महुआ नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-07 में विनोद राय, पिता- विमल राय के घर के पीछे बाया नदी के किनारे छठ घाट सिढ़ी निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	44.88 / 38.64	26.22	अपूर्ण
<b>कुल योग</b>				<b>91.21</b>	

उपर्युक्त योजनाओं के अपूर्ण रहने के कारणों के संबंध में पृच्छा करने पर जवाब में बताया गया कि कार्य का पर्यवेक्षण तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, इसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

#### **टिप्पणी 04**

**वाहन किराया, कंप्यूटर एवं उपस्कर पर व्यय की गयी राशि रू0 8.52 लाख**

जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में वाहन किराया, कंप्यूटर एवं उपस्कर पर कुल रू0 8,51,970.00 का व्यय किया गया था। विवरणी निम्नवत है-

(राशि रू० में)

क्रम सं.	मद	दिनांक	व्यय की राशि
1	वाहन किराया	24.4.14	19899
		5.5.14	23000
		2.6.14	23000
		2.7.14	17440
		28.7.14	23000
		23.12.14	57500
		31.12.14	23000
		31.1.15	23000
		28.2.15	23000
		31.3.15	23000
		7.5.15	23000
		5.6.15	23000
		1.7.15	23000
		1.8.15	23000
		31.8.15	23000
		30.9.15	23000
		4.11.15	23000
		1.12.15	23000
		4.1.16	16520
		30.1.16	22540
1.3.16	22540		
	<b>योग</b>	<b>501439</b>	
2	कंप्यूटर पर व्यय	14.5.13	38476
		<b>योग</b>	<b>38476</b>
3	उपस्कर पर व्यय	14.5.13	197598
		18.5.13	16165
		21.5.13	4489
		3.7.13	43653
		20.7.13	4350
		12.11.13	19500
		15.3.14	26300
		<b>योग</b>	<b>312055</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>851970</b>	

उपरोक्त व्यय से संबंधित अभिश्रव, वाहन का लॉगबुक एवं उनसे संबंधित अभिलेख तथा परिसंपत्ति पंजी को उपलब्ध करने को कहा गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लॉगबुक संधारित है तथा अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।

—हस्ता०—  
(एस.के. वर्मा)  
व०ले०प०अ०  
—अनुमोदित—

उपमहालेखाकार (सा०प्र०-I/स्था०नि०)

UPR 202-1

01547 - 02 ✓ 42871

\* Compensation  
+ interest

Sl. No.	Group no./Scheme no.	Name of contractor	M.B.No	Estimate cost	Work done as M.B	Deduction of liquidated damage *	Actual deduction of liquidated damage *	Short deduction of liquidated damage *	Date of work order/Time completion of work	Work completed as m.b	Late work done
	Group 37- construction of road from gandak nahar house of Ramkant to Near Bariwari Road at laiganj	Sri Sanjay Kumar	33/10-11	3594288	3586320	92154	359429	267275	03.08.10/03 months	05.07.11	08 Month
	Group-27 construction of drain from Thakurbari via Rajendra Sah chowk h/o Uday Narayan Choudhary	Sri Arjun Singh	34/10-11	2749713	2749134	107533	274971	167438	03.08.10/03 months	10.08.11	09 month
	Group-01 Const. of road from Firangi Ray Chowk to house of Manoj singh	Sri Ramesh Kumar Singh	17/10-11	3426955	3222162	86889	342696	255807	03.09.10/03 months	10.06.11	06 Month
	Group-45 const. of drain from Sharda Pustaklaya to Naka no. 01 chowk at langanj	Sri Ajab Lal Singh	18/10-11	955483	954596	18295	95548	77253	03.08.10/03 months	08.07.11	07 Month
	43 f/ 13-14 Infrastructure development work in Jadhua salam Area of Hajipur	Sri Manoj Kr. Mishra	158, 159/13-14	2817563	2648078	112402	281756	169354	06.05.13/06 month	20.04.15	16 Month
						417273	1354400	937127			

Part II  
Details of less deduction/est deduction of labour cess

991

1. <u>Group NO / Scheme Name</u>	2. <u>Estimate Cost</u>	3. <u>M.B. NO</u>	4. <u>Name of contractor</u>	5. <u>Work done as M.B.</u>	6. <u>Amount of labour cess deducted as per M.B.</u>	7. <u>Actual amount deductible</u>	8. <u>Less amt deduct</u>
1. <u>Group-35</u> Cons. of road from Aegya Samej school to Moonu Bahur check at Lalgarh	19,02,771	01/10-11	Sri Anil Kumar Singh	18,20,776	17952	18207	255
2. <u>Group-23</u> Cons. of road from old P.C. road to Hajipur main road at Lalgarh ward No-16	20,21,636	02/10-11	Sri Animesh kr. Singh	20,09,540	802	20095	19293
3. <u>Group-40</u> Comp. of road from udan pit to Jawahar check at Lalgarh	24,24,350	08/10-11	M/s. Shrawani Enterprises	22,23,173	20260	22231	1971
4. <u>Group-22</u> Cons. of road from house of Rajendra shah to house of Jagannath Singh at Lalgarh	8,09,121	05/10-11	Sri Sudhis Kumar	8,07,264	7631	8072	441
5. <u>Group-09</u> Cons. of road from Saroi road cutrest via Heringan Nola to Kobrikaran culvert at Lalgarh	19,63,770	16/10-11	Sri Raj Kumar Shahi	19,35,155	5353	19351	13998
6. <u>Group-13</u> Cons. of road from reishali road by Jagannath Paswan to near Paswan talga at Lalgarh	5,39,292	06/10-11	Sri Mithilesh Kumar	2,32,211	51998	2322	2322

50278  
38280  
 P.↑.0.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7. unrecd-15  
 Cons. of drain  
 from Sharda Pustakalaya  
 to Naka No. 1. Check of  
 Lalgaung

8. unrecd-21  
 Cons. of drain from middle  
 School to mounded Assam  
 Culvert at Lalgaung

9. unrecd-34  
 Cons. of road from Akulla  
 Math to Satib Pokhar at  
 Lalgaung

10. unrecd-27  
 Cons. of drain from  
 Mathabari via Rajwada  
 Sakh Check W/O of delay  
 Narayan Choudhary

अर्थ 88112  
 200000

B.F. - 51998

B.F. - 90279

B.F. - 38280

9,55,483 18/10-11  
 9,54,536 660 8546 8886

14,34,438 14/10-11 14,32,663 5839 14327 8488

13,48,043 19/10-11 13,08,524 13065 13085-

27,149,713 34/10-11 27,149,124 9646 27491 17845  
 68143 154927 86,584